न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—41 / 2019 (2019 / 00009) वाद पत्र

उनवान

1—रतनलाल पिता प्यारचन्द माली निवासी तोलास का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—रोशनलाल पिता प्यारचन्द माली निवासी तोलास काखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—लादुलाल पिता प्यारचन्द माली निवासी तोलास का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—शोभालाल पिता प्यारचन्द माली निवासी तोलास का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1—प्रकाश पिता प्रहलाद माली निवासी बावलास तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
2—टमु पत्नि प्रहलाद माली निवासी बावलास तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
3—सीमा पुत्री प्रहलाद माली निवासी बावलास तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
4—लक्ष्मी पुत्री प्रहलाद माली निवासी बावलास तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
5—सीता पुत्री प्रहलाद माली निवासी बावलास तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
6—बीना पुत्री प्रहलाद माली निवासी बावलास तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
7—पुजा पुत्री प्रहलाद माली निवासी बावलास तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
8—मथरालाल पिता बरदा माली निवासी बावलास तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
9—भागीरथ पिता बरदा माली निवासी बावलास तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
10—महावीर पिता गोपी सुथार निवासी बावलास तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
11—छगन पिता गोपी सुथार निवासी बावलास तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
12—रूकमण पत्नि गोपी सुथार निवासी बावलास तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
13—देउ पुत्री गोपी सुथार निवासी बावलास तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
14—दुर्गा पुत्री गोपी सुथार निवासी बावलास तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
15—गणी पुत्री गोपी सुथार निवासी बावलास तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
16—रेखा पुत्री गोपी सुथार निवासी बावलास तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
17—प्यारचंद पिता रामसुख माली निवासी बावलास तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
18—बालुराम पिता रामसुख माली निवासी बावलास तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
19—कन्हैयालाल पिता रामसुख माली निवासी बावलास तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
20—गोमालाल पिता लालु माली निवासी तोलासकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
21—रामेश्वरलाल पिता लालु माली निवासी तोलास का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
22—नन्दराम पिता पन्ना माली निवासी तोलास का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
23—श्यामलाल पिता हीरालाल माली निवासी तोलास काखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
24—नोसी पुत्री हीरालाल माली निवासी तोलास का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
25—सुशीला पुत्री हीरालाल माली निवासी तोलास का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
26—शान्ति पुत्री हीरालाल माली निवासी तोलास का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
27—भुरालाल पिता पन्ना माली निवासी तोलास का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
28—लादु पिता पन्ना माली निवासी तोलास का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
29—मोवनी बेवा बरदीचन्द माली निवासी बावलास तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा
30—भैरू पिता बरदा माली निवासी बावलास तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा
31—जगदीश पिता प्रभु माली निवासी बावलास तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा

32—लादी पुत्री प्रभु माली निवासी बावलास तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा
33—मोवनी पत्नि प्रभु माली निवासी बावलास तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा
34—मीठु पिता बरदा माली निवासी बावलास तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा
35—शंकर पिता छोगा माली निवासी बावलास तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा
36—रामा पिता नोला दरोगा निवासी बावलास तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा
37—श्रीमान तहसीलदार महोदय, तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 89, 188, 92क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. भैरूलाल बापना, जाकिर हुसैन — वादीगण अधिवक्ता
2. रितेष सुराणा — प्रतिवादी अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक—22.07.2022

पत्रावली आज पेश हुई। पत्रावली का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम रेवाडा पटवार क्षेत्र बोरियापुरा तहसील रायपुर में जमाबंदी संवत् 2050 से 2053 में देवीचंद बालू पिता मोती माली, गोपाल पिता बंशीलाल, प्यारचंद, बालूराम, कन्हैयालाल पिता रामसुख कुल हिस्सा 3/8, प्यारचंद, बालूराम, कन्हैयालाल पिता रामसुख माली हिस्सा 1/8, रतनलाल, रोशनलाल पिता प्यारचंद माली निवासी तोलास का खेड़ा हिस्सा 1/8 लादूलाल, शोभालाल पिता प्यारचंद माली हिस्सा 1/8 पन्ना, गोकल, लालू पिता नाथू, भैरू, प्रभू, मीठू पिता बरदा, अणछी बेवा बरदा, शंकर पिता छोगा, प्यारी बेवा छोगा माली हिस्सा 1/8 रामा पिता नौला दरोगा हिस्सा 1/8 के संयुक्त खाते में साबिक आराजी नं. 122 रकबा 37 बीघा 9 बिस्वा भूमि दर्ज थी। वादीगण ने उक्त भूमि देईचंद पिता मोती माली से उसके 2/8 हिस्से में से दो पृथक—पृथक रजिस्टर्ड विक्रयपत्रों से क्रय की थी जिसका इंतकाल नं 499 दिनांक 17—2—1990 को हमारे नाम पर खोला गया था। जिस वक्त हमने यह भूमि देईचंद से खरीदी थी उस समय यह भूमि असिंचित थी जिस पर कोई कुआ खुदा हुआ नहीं था। यह भूमि क्रय करने के बाद हम वादीगण चारों भाइयों ने मिलकर हमारे उक्त 1/8—1/8 कुल 1/4 हिस्से व कब्जे की भूमि को सिंचित करने के लिये इस पर हजारों रूपयों की लागत लगाकर एक कुआ खुदवाया था जो पक्का बंधा हुआ होकर इस पर हमारी बिजली की मोटर लगी हुई है। अन्य सहखातेदारान् ने भी भूमि क्रय करने के बाद अपने—अपने हिस्से व कब्जे की भूमि में नवीन सेटलमेंट के पूर्व ही तीन पृथक—पृथक कुए खुदवाये थे जिनसे वे अपने—अपने हिस्से व कब्जे की भूमि को सिंचित करते हुए आ रहे हैं। क्रय करने के पूर्व उनके हिस्से की भूमि भी असिंचित ही थी जो रजिस्टर्ड विक्रयपत्रों से प्रमाणित है। इस प्रकार उक्त साबिक आराजी नं. 122 पर कुल 4 कुए नवीन सेटलमेंट से पूर्व खुदे हुए थे जिनसे पृथक—पृथक हिस्सेदार अपने—अपने हिस्से व कब्जे की भूमि को सिंचित करते हुए आ रहे हैं। किसी भी सहखातेदार का अन्य सहखातेदार के हिस्से व कब्जे की भूमि में खुदे हुए कुए की भूमि में कोई भी हिस्सा व दखल नहीं है। नवीन बंदोबस्त होने पर उक्त वर्णित आराजी के दो नवीन आराजी नंबर

कायम किये गये जो निम्न प्रकार हैं आराजी नं.368 रकबा 8.08 है0 आराजी संख्या 368/1000 रकबा 0.0200 है0 गे.मु.चाह कुल किता 2 कुल रकबा 8.10 है0 भूमि नवीन बंदोबस्त की हाल जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 में उक्त आराजी नं. 368 रकबा 8.0800 है0 को मृतक खातेदारों की विरासत या उनके द्वारा अपने हिस्से की भूमि विक्रय करने से इस भूमि में निम्नानुसार इन्द्राज खाते में किया हुआ है। आराजी नं. 368 रकबा 8.08 है0 बृजकंवर पत्नी जसवंतसिंह राणावत 1/5, गोपी पिता नगजीराम सुथार 1/8, प्यारचंद बालुराम कन्हैयालाल पिता रामसुख माली 1/4, रामा पिता नोला दरोगा 1/8, बदामी पत्नी प्यारा कुम्हार 1/20 सा. बावलास, रतनलाल रोशनलाल लादूलाल शोभालाल पिता प्यारचंद माली नि. तोलास का खेड़ा 1/4 इसके अलावा आराजी नं. 368/ 1000 रकबा 0.0200 है. गे.मु. चाह की जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 में निम्नानुसार खातेदारों का नाम गलत तौर से कायम कर दिया गया जबकि यह कुआ सं. 368/1000 वादीगण द्वारा भूमि क्रय करने के बाद हमारे हिस्से व कब्जे की आराजी में हमारे द्वारा हजारों रूपयों की लागत से यह कुआ हमने खुदवाया है। जिस पर हमारी बिजली की मोटर लगी हुई है। इस कारण से यह कुआ सं. 368/1000 रकबा 0.0200 है. केवल हम वादीगण के नाम पर ही दर्ज किया जाना चाहिये किन्तु प्रबंध विभाग ने भूल व गलती से इस कुए के खाते में अन्य खातेदारों का नाम भी जोड़ दिया है जिसे घोषणात्मक डिक्री द्वारा हटाया जाना आवश्यक है। अन्य खातेदारान् के हिस्से व कब्जे की भूमि में भी उनके द्वारा सेटलमेंट से पूर्व कुए खुदवा दिये गये थे लेकिन सेटलमेंट विभाग ने उनके कुओं के पृथक–पृथक नंबर कायम नहीं किये और हमारे कुआ सं. 368/1000 में ही उनका नाम भूल व गलती से लिख दिया जिनका नाम हटाया जाना आवश्यक है। कुआ सं. 368/1000 के वर्तमान खाते में किये हुए इन्द्राज की स्थिति निम्न प्रकार से है। आराजी संख्या 368/1000 रकबा 0.02 है0गै.मु. चाह प्रहलाद मथुरालाल भगीरथ पिता बरदा माली 1/8, गोपी पिता नंगजीराम सुथार 1/8, प्यारचंद, बालुराम कन्हैयालाल पिता रामसुख माली 1/4, रतनलाल रोशनलाल पिता प्यारचंद माली 1/8, लादूलाल शोभालाल पिता प्यारचंद माली 1/8, गोमालाल रामेश्वरलाल पिता लालू, नंदराम, हीरालाल भूरालाल लादू पिता पन्ना माली प्रहलाद मथरालाल भागीरथ पिता बरदीचद मोवनी बेवा बरदीचंद भैरू प्रभू मीठु पिता बरदा अणछी बेवा बरदा शंकर पिता छोगा प्यारी बेवा छोगा माली 1/8 रामा पिता नोला दरोगा 1/8 हिस्सा। इस कुआ संख्या 368/1000 रकबा 0.0200 है0 पर केवल हम वादीगण का ही अधिकार आधिपत्य है अन्य सहखातेदारों का इस कुए की भूमि पर कोई अधिकार दखल नहीं है व न ही इस कुए से उन्होंने अपनी भूमि को कभी सिंचित किया है जिससे आराजी नं. 368/1000 रकबा 0.02 है में उक्त अनुसार वादीगण को छोड़कर अन्य सहखातेदारान का नाम घोषणात्मक डिक्री द्वारा विलोपित किया जाना आवश्यक है और यह कुआ केवल वादीगण के संयुक्त नाम पर ही दर्ज रखाया जाना आवश्यक है। इस बाबत घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती की डिक्री बहक वादीगण पारित कराया जाना न्यायहित में आवश्यक है। उक्त कुआ से 368/1000 रकबा 0.02 है में सेटलमेंट विभाग की मूल व गलती से हम

वादीगण के साथ–साथ प्रतिवादीगण का नाम भी संयुक्त रूप से लिख दिया गया है जिसका नाजायज लाभ उठाने की नीयत से प्रतिवादीगण इस कुए पर लोन लेकर व अन्य तरीके से इसको अंतरित व भारित कर सकते हैं और वादीगण के अधिकार आधिपत्य में जबरन हस्तक्षेप भी कर सकते हैं जिससे प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराया जाना आवश्यक है कि वे वादीगण के स्वामित्व व आधिपत्य की उक्त आराजी गेमु चाह स 368/1000 रकबा 0.02 है0 में वादीगण के अधिकार आधिपत्य में कोई भी हस्तक्षेप न तो स्वयं करे न अन्य से करावे और वादीगण को इस कुए से किसी भी प्रकार से बेदखल नहीं करे और इस आराजी गे.मु. चाह सं. 368/1000 को किसी भी तरह से खुर्द–बुर्द अंतरित व भारित नहीं करे एवं कोई भी ऐसा कृत्य नहीं करे जिससे वादीगण के अधिकारों पर विपरीत असर पडे। अतः वादीगण की सादर प्रार्थना है कि वाद अनुसार घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित फरमाई जाकर ग्राम रेवाडा पटवार क्षेत्र बोरियापुरा तहसील रायपुर में स्थित आराजी नं. 368/1000 रकबा 0.0200 है0 गै.मु. चाह का एकल खातेदार वादीगण को घोषित कराया जावे और इस आराजी के खाते में सेटलमेंट की भूल व गलती से प्रतिवादीगण का नाम व हिस्सा लिख दिया गया है उसे विलोपित कराया जाये। साथ ही स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित फरमाई जाकर प्रतिवादीगण को पाबंद कराया जावे कि वादीगण के स्वामित्व व आधिपत्य की उक्त आराजी गै. मु. चाह सं. 368/1000 रकबा 0.02 है0 में वादीगण के कब्जेकाश्त अधिकार आधिपत्य में कोई भी हस्तक्षेप न तो स्वयं करे न अन्य से करावे और वादीगण को इस कुए से किसी भी प्रकार से बेदखल नहीं करे और इस आराजी गे.मु. चाह सं. 368/1000 को किसी भी तरह से खुर्द–बुर्द अंतरित व भारित नहीं करे एवं कोई भी ऐसा कृत्य नहीं करे जिससे वादीगण के अधिकारों पर विपरीत असर पड़े।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को समन जारी किये गये। समन की पालना में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 36 के अधिवक्ता उपस्थित लेकिन काफी अवसरो के बाद भी जवाब प्रस्तुत नही किया गया एवं उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया एवं प्रतिवादी संख्या 37 फौरमल पक्षकार है जिनसे कोई रिलीफ नही चाही गई है।

वादी अधिवक्ता के द्वारा वाद के समर्थन में वादी रतनलाल, रोशनलाल पिता प्यारचन्द माली निवासी तोलास, प्यारा पिता बरदु प्रजापत निवासी बावलास, रामा पिता नोला दरोगा निवासी बावलास के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये जो शामिल पत्रावली है जिनके द्वारा भी वादवर्णित तथ्यो को सही बताते हुए आराजी संख्या 368/1000 रकबा 0.02 है0 भूमि का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित बताया गया।

वाद में एक पक्षीय बहस सुनी गई।

वादी अधिवक्ता द्वारा वादवर्णित तथ्यो को दोहराते हुए मुख्य कथन किया कि वादीगण के द्वारा भूमि क्रय की उस समय भूमि अंसिचित थी जो दस्तावेज से प्रमाणित है

उसके बाद वादीगणो के द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में कुआं खोदा गया है जिसमें प्रतिवादीगणो का कोई हक नही है किन्तु भू प्रबन्ध विभाग के द्वारा वादीगण के हक हिस्से में खोदे गये कुएं में प्रतिवादीगणो के नाम दर्ज कर दिये गये जिसे हटाया जाना आवश्यक है जबकि प्रतिवादीगण के द्वारा अपने हक हिस्से की भूमि में अलग से खोद रखा है जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज नही है। अतः वाद स्वीकार फरमाया जावे।

मैने पत्रावली में उपलब्ध साबिक एवं हाल रेकार्ड का का अवलोकन किया तो पाया कि साबिक आराजी संख्या 122 रकबा 37 बीघा 9 बिस्वा के नवीन नम्बर 368 एवं 368/1000 दर्ज हुए। वादीगण के वाद अनुसार आराजी संख्या 368/1000 में स्थित चाह वादीगणो के द्वारा खोदा गया है और प्रतिवादीगणो के द्वारा अपने हक हिस्से की भूमि में अलग से कुआ खोदना वाद से और वादी के बयान से स्पष्ट है। प्रतिवादीगणो की ओर से वाद के विरूद्व कोई जवाब प्रस्तुत नही किया गया एवं न किसी प्रकार की पत्रावली में पैरवी की गई है इससे भी यह प्रमाणित होता है कि वादीगणो द्वारा प्रस्तुत वाद से प्रतिवादीगणो को कोई आपत्ति नही है फिर भी प्रतिवादीगण अपने द्वारा खोदे गये चाह को राजस्व नक्शे में दर्ज/तरमीम कराने में स्वतंत्र है। ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, 92क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम रेवाड़ा पटवार हल्का बोरियापुरा में स्थित आराजी संख्या 368/1000 रकबा 0.02 है0 गै.मु. चाह का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इस चाह से प्रतिवादीगणो का नाम हटाया जावे। साथ ही बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि प्रतिवादीगण, वादीगण के स्वामित्व व आधिपत्य की उक्त आराजी गै.मु. चाह सं. 368/1000 रकबा 0.02 है0 में में कोई भी हस्तक्षेप न तो स्वयं करे न अन्य से करावे और वादीगण को इस कुए से किसी भी प्रकार से बेदखल नहीं करे, किसी भी तरह से खुर्द—बुर्द अंतरित व भारित नहीं करे। प्रतिवादीगण अपने हक हिस्से की भूमि में खोदे गये कुएं को राजस्व नक्शे में दर्ज/तरमीम कराने में स्वतंत्र रहेंगे। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 22.07.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

22/7/2022
(सुन्दरलाल बम्बोरा)
सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–41/2019 (2019/00009) वाद पत्र

उनवान

1–रतनलाल पिता प्यारचन्द माली निवासी तोलासकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–रोशनलाल पिता प्यारचन्द माली निवासी तोलासकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3–लादुलाल पिता प्यारचन्द माली निवासी तोलासकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4–शोभालाल पिता प्यारचन्द माली निवासी तोलासकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1–प्रकाश पिता प्रहलाद माली निवासी बावलास तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
2–टमु पत्नि प्रहलाद माली निवासी बावलास तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
3–सीमा पुत्री प्रहलाद माली निवासी बावलास तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
4–लक्ष्मी पुत्री प्रहलाद माली निवासी बावलास तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
5–सीता पुत्री प्रहलाद माली निवासी बावलास तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
6–बीना पुत्री प्रहलाद माली निवासी बावलास तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
7–पुजा पुत्री प्रहलाद माली निवासी बावलास तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
8–मथरालाल पिता बरदा माली निवासी बावलास तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
9–भागीरथ पिता बरदा माली निवासी बावलास तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
10–महावीर पिता गोपी सुथार निवासी बावलास तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
11–छगन पिता गोपी सुथार निवासी बावलास तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
12–रूकमण पत्नि गोपी सुथार निवासी बावलास तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
13–देउ पुत्री गोपी सुथार निवासी बावलास तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
14–दुर्गा पुत्री गोपी सुथार निवासी बावलास तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
15–गणी पुत्री गोपी सुथार निवासी बावलास तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
16–रेखा पुत्री गोपी सुथार निवासी बावलास तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
17–प्यारचंद पिता रामसुख माली निवासी बावलास तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
18–बालुराम पिता रामसुख माली निवासी बावलास तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
19–कन्हैयालाल पिता रामसुख माली निवासी बावलास तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
20–गोमालाल पिता लालु माली निवासी तोलासकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
21–रामेश्वरलाल पिता लालु माली निवासी तोलासकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
22–नन्दराम पिता पन्ना माली निवासी तोलासकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
23–श्यामलाल पिता हीरालाल माली निवासी तोलासकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
24–नोसी पुत्री हीरालाल माली निवासी तोलासकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
25–सुशीला पुत्री हीरालाल माली निवासी तोलासकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
26–शान्ति पुत्री हीरालाल माली निवासी तोलासकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
27–भुरालाल पिता पन्ना माली निवासी तोलासकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
28–लादु पिता पन्ना माली निवासी तोलासकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
29–मोवनी बेवा बरदीचन्द माली निवासी बावलास तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा

30—भैरू पिता बरदा माली निवासी बावलास तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा
31—जगदीश पिता प्रभु माली निवासी बावलास तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा
32—लादी पुत्री प्रभु माली निवासी बावलास तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा
33—मोवनी पत्नि प्रभु माली निवासी बावलास तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा
34—मीठु पिता बरदा माली निवासी बावलास तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा
35—शंकर पिता छोगा माली निवासी बावलास तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा
36—रामा पिता नोला दरोगा निवासी बावलास तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा
37—श्रीमान तहसीलदार महोदय, तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 89, 188, 92क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, 92क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम रेवाड़ा पटवार हल्का बोरियापुरा में स्थित आराजी संख्या 368/1000 रकबा 0.02 है0 गै.मु. चाह का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इस चाह से प्रतिवादीगणो का नाम हटाया जावे। साथ ही बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि प्रतिवादीगण, वादीगण के स्वामित्व व आधिपत्य की उक्त आराजी गै.मु. चाह सं. 368/1000 रकबा 0.02 है0 में में कोई भी हस्तक्षेप न तो स्वयं करे न अन्य से करावे और वादीगण को इस कुए से किसी भी प्रकार से बेदखल नहीं करे, किसी भी तरह से खुर्द—बुर्द अंतरित व भारित नहीं करे। प्रतिवादीगण अपने हक हिस्से की भूमि में खोदे गये कुएं को राजस्व नक्शे में दर्ज/तरमीम कराने में स्वतंत्र रहेंगे।

वाद में डिक्री आज दिनांक 22.07.2022 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

22/07/2022

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा